सं. 151] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2003/आश्विन 5, 1925
No. 151] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2003/ASVINA 5, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 24 सितम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/40/2003-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण प्रशुल्क प्राधिकरण समान तल कंटेनरों के कार्गो पर बंदरगाह शुल्क की वसूली से संबंधित मुम्बई पत्तन न्यास के दरमान में, एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, संशोधन करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/40/2003-एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) ---------------- आवेदक

आदेश

(सितम्बर, 2003 के 10वें दिन पारित)

यह प्रकरण समान तल कंटेनरों के कार्गो पर बंदरगाह शुल्क की वसूली शासित करने वाले उपबंध को प्रतिस्थापित करने के लिए अपने दरमान में संशोधन करनें हेतु मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. एमबीपीटी ने कहा है कि कभी-कभी मुम्बई के अलावा दूसरे पत्तनों को जाने वाले कंटेनरों को किसी विवशता अथवा जब जलयान बर्थ में हो तब उसकी स्थिरता के लिए उतराई और उसी जलयान पर दोबारा लदाई की जाती है। इन कंटेनरों को पत्तन पर खाली नहीं किया जाता है।

2798 GI/2003

3. इस समय, एमबीपीटी इन्हीं समान तल कंटेनरों के मामले में निम्नलिखित प्रभार लगा रहा है :-

(i) 20' कंटेनर के लिए 9.5 अमरीकी डालर और 20' से अधिक कंटेनरों पर 14.5 अमरीकी डालर बंदरगाह शुल्क ; और,

(ii) कंटेनरयुक्त कार्गो पर 20' तक के कंटेनरों के लिए 2,400/- रुपए और 20' से अधिक के कंटेनरों के लिए 4,800/- रुपए एकमुश्त बंदरगाह शुल्क।

4. एमबीपीटी ने अब समान तल कंटेनरों के कार्गो पर बंदरगाह शुल्क की वसूली समाप्त करने का प्रस्ताव किया है और इस प्रस्ताव के पक्ष में निम्नलिखित बिंदुओं का विशेषरूप से उल्लेख किया है :-

(i) समान तल कंटेनरों के कार्गो पर बंदरगाह शुल्क की वसूली करने हेतु कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। तथापि, बंदरगाह 'शुल्क पोतांतरण और समान तल कंटेनरों को आयात कंटेनरों के बराबर मानने वाली धारा-V' के नीचे सामान्य टिप्पणी (ii) के अनुसार लगाया जाता है।

(ii) उपयोगकर्ता समान तल कंटेनरों के कार्गो पर बंदरगाह शुल्क लगाने पर आपत्ति करते हैं और दावा करते हैं कि ऐसे बंदरगाह शुल्क लगाने हेतु दरमान में कोई उपबंध नहीं है।

(iii) उपबंधों में अस्पष्टता है।

(iv) ऐसे कंटेनरों की संख्या बहुत कम है।

(v) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 53 के अधीन उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग कर एमबीपीटी समान तल कंटेनरों के कार्गो पर बंदरगाह शुल्क में 1 अप्रैल, 2001 से पहले ही छूट दे चुका है।

5. एमबीपीटी का विशिष्ट प्रस्ताव उसके दरमान के वर्तमान खंड-V के उप खंड (छ) की धारा (1) को उपयुक्त ढंग से संशोधित करने के लिए है। वर्तमान धारा और वर्तमान धारा में प्रस्तावित संशोधनों की तालिका निम्नलिखित है :-

वर्तमान खंड-V के उप खंड (छ) की धारा (1)	प्रस्तावित खंड-V के उप खंड (छ) की धारा (1)
खंड I और II के अधीन यथा लागू उपर्युक्त उप खंड घ की टिप्पणी (9) के अनुसार निजी सीएफएस में से निकासित और आईसीडी तथा एफसीएल को जाने वालों को छोड़कर, बंदरगाह शुल्क और विलंब शुल्क कंटेनरयुक्त आयात कार्गो पर देय होगा। कंटेनरों में पोतांतरण कार्गो पर 20 फीट तक की लम्बाई वाले कंटेनर के लिए 2400 रुपए और 20 फीट से अधिक लम्बाई वाले कंटेनर के लिए 4800 रुपए की दर से एकमुश्त बंदरगाह शुल्क देय होगा, परंतु उसपर विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा।	खंड I और II के अधीन यथा लागू उपर्युक्त उप खंड घ की टिप्पणी (9) के अनुसार निजी सीएफएस में से निकासित और आईसीडी तथा एफसीएल को जाने वालों को छोड़कर, बंदरगाह शुल्क और विलंब शुल्क कंटेनरयुक्त आयात कार्गो पर देय होगा। कंटेनरों में पोतांतरण कार्गो पर 20 फीट तक की लम्बाई वाले कंटेनर के लिए 2400 रुपए और 20 फीट से अधिक लम्बाई वाले कंटेनर के लिए 4800 रुपए की दर से एकमुश्त बंदरगाह शुल्क देय होगा, परंतु उसपर विलंब शुल्क देय नहीं होगा। समान तल कंटेनरों के अन्दर के कार्गो पर कोई बंदरगाह शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।

6. वर्तमान दरमान के संदर्भ में एमबीपीटी के प्रस्ताव की जॉंच की गई है और निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) एमबीपीटी का प्रस्ताव कोई नई दर शामिल करने के लिए नहीं है जिससे उपयोगकर्ताओं पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह प्रस्ताव केवल दर को शासित करने वाली सशर्तता में संशोधन करने और समान तल कंटेनरों के कार्गो पर बंदरगाह शुल्क की वसूली के मामले में इसको लागू करने की अस्पष्टता को दूर करने के लिए है।

(ii) जैसाकि पहले कहा गया है, एमबीपीटी समान तल कंटेनरों के साथ-साथ उन कंटेनरों के अन्दर के कार्गो पर भी बंदरगाह शुल्क वसूल कर रहा है। जब अन्य पत्तनों के लिए जाने वाले कंटेनर एमबीपीटी की गोदियों में उतारे जाते हैं और किन्हीं भी कारणों से इसी जलयान पर उनकी पुनः लदाई की जाती है तब पत्तन गोदियों में खाली नहीं किए जाने वाले कंटेनरों के अन्दर के कार्गो के लिए कोई सेवा प्रदान नहीं करता है। यह देखा गया है कि पत्तन उक्त कार्गो पर 1अप्रैल, 2001 से बंदरगाह शुल्क की वसूली नहीं कर रहा है। इसलिए, प्रस्तावित संशोधन से पत्तन पर कोई नया वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित संशोधन केवल, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 53 के अधीन कार्य करने की बजाय दरमान में स्थायी प्रशुल्क व्यवस्था करने के लिए है। इस कारण, इस प्रकरण में रस्मी परामर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

(iii) यद्यपि पत्तन ने समान तल कंटेनरों के कार्गो पर बंदरगाह शुल्क की वसूली का प्रस्ताव किया है, परंतु उसने उक्त सामान्य टिप्पणी (ii) में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है जिसमें विनिर्दिष्ट है कि पोतांतरण और समान तल कंटेनरों को आयात कंटेनरों के बराबर माना जाएगा। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि खंड-V के नीचे की सामान्य टिप्पणी (ii) को समान तल कंटेनरों पर, न कि कार्गो पर, भंडारण शुल्कों/बंदरगाह शुल्क की वसूली के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है।

7. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण मुम्बई पत्तन न्यास के वर्तमान गोदी दरमान के खंड-V के उप खंड (छ) की धारा (1) में निम्नलिखित उपबंध द्वारा प्रतिस्थापन अनुमोदित करता है :-

> "खंड I और II के अधीन यथा लागू उपर्युक्त उप खंड घ की टिप्पणी (9) के अनुसार निजी सीएफएस में से निकासित और आईसीडी तथा एफसीएल को जाने वाले कंटेनरों को छोड़कर, बंदरगाह शुल्क और विलंब शुल्क कंटेनरयुक्त आयात कार्गो पर देय होगा। कंटेनरों में पोतांतरण कार्गो पर 20 फीट तक की लम्बाई वाले कंटेनर के लिए 2400 रुपए और 20 फीट से अधिक लम्बाई वाले कंटेनर के लिए 4800 रुपए की दर से एकमुश्त बंदरगाह शुल्क देय होगा, परंतु उसपर विलंब शुल्क प्रभार्य नहीं होगा। समान तल कंटेनरों के अन्दर के कार्गो पर कोई बंदरगाह शुल्क प्रभार्य नहीं होगा।"

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03-असाधारण]